GRAMMAR AND TRANSLATION

HIN2A08(1)

STUDY MATERIAL

SECOND SEMESTER

COMMON COURSE IN HINDI
for B.A/B.Sc

CBCSS (2019 Admn. Onwards)

UNIVERSITY OF CALICUT

Calicut University P.O, Malappuram Kerala, India
673 635.

19105

UNIVERSITY OF CALICUT
SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION

SECOND SEMESTER

HIN 2 A08 (1) - GRAMMAR AND TRANSLATION
COMMON COURSE IN HINDI for B.A/B.Sc.

Prepared by :

Module I & II :
DR. SREEKALA T.K
Assistant Professor in Hindi

Module III& IV :
DR. PRASEEJA N.M.
Assistant Professor in Hindi
School of Distance Education
University of Calicut

Scrutinized by :
DR. R.SETHUNATH
Prof.Dept of Hindi
University of Calicut

CONTENTS

Module –I

- शब्द विचार(Etymology)
- संज्ञा(Noun)
- लिंग (Gender)
- वचन(Number)
- कारक(Case)

Module –II

- सर्वनाम (Pronoun)
- विशेषण(Adjective)
- काल (Tense)
- वाच्य(Voice)

Module –III

- संबन्ध बोधक (Preposition)
- समुच्चयबोधक (Conjunction)
- विस्मयादिबोधक (Interjection)
- क्रिया विशेषण(Adverb)

ModuleIV

- अनुवाद(Translation)

MODULE I

शब्द विचार -Shabad Vichar

(Etymology)

शब्द विचार की परिभाषा

दो या दो से अधिक वर्णों से बने ऐसे समूह को 'शब्द' कहते हैं, जिसका कोई न कोई अर्थ अवश्य हो। दूसरे शब्दों में- ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्णसमुदाय को 'शब्द' कहते हैं।

इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं- वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को 'शब्द' कहते हैं।

जैसे- सन्तरा, कबूतर, टेलीफोन, आ, गाय घर, हिमालय, कमल, रोटी, आदि।

इन शब्दों की रचना दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से हुई है। वर्णों क ये मेल सार्थक है, जिनसे किसी

अर्थ का बोध होता है। 'घर' में दो वर्णों का मेल है, जिसका अर्थ है मकान, जिसमे लोग रहते हैं। हर हालत में शब्द सार्थक होना चाहिए। व्याकरण में निरर्थक शब्दों के लिए स्थान नहीं है।

शब्द अकेले औरर कभी दूसरे शब्दों के साथ मिलकर अपना अर्थ प्रकट करते हैं। इन्हें हम दो रूपों में पाते हैं- एक तो इनका अपना बिना मिलावट का रूप है, जिसे संस्कृत में प्रकृति या प्रातिपदिक कहते हैं और दूसरा वह, जो कारक, लिंग, वचन, पुरुष और काल बतानेवाले अंश को आगे-पीछे लगाकर बनाया जाता है, जिसे पद कहते हैं। यह वाक्य में दूसरे शब्दों से मिलकर अपना रूप झट संवार लेता है।

शब्दों की रचना (i) ध्वनि और (ii) अर्थ के मेल से होती है। एक या अधिक वर्णो से बनी स्वतन्त्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं; जैसे- मैं, धीरे, परन्तु, लड़की इत्यादि। अतः शब्द मूलतः ध्वन्यात्मक होंगे या वर्णात्मक। किन्तु, व्याकरण में ध्वन्यात्मक शब्दों की अपेक्षा वर्णात्मक शब्दों का अधिक महत्त्व है। वर्णात्मक शब्दों में भी उन्हीं शब्दों का महत्त्व है, जो सार्थक है, जिनका अर्थ स्पष्ट और सुनिश्चित है। व्याकरण में निरर्थक शब्दों पर विचार नहीं होता।

शब्द और पद- यहाँ शब्द और पद का अंतर समझ लेना चाहिए। ध्वनियों के मेल से शब्द बनता है।

जैसे-प + आ + न = पानी। यही शब्द जब वाक्य में अर्थवाचक बनकर आये, तो वह पद कहलाता है। जैसे- पुस्तक लाओ। इस वाक्य में दो पद है- एक नामपद 'पुस्तक' है और दूसरा क्रियापद 'लाओ' है।

शब्द के भेद

अर्थ, प्रयोग, उत्पत्ति और व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कई भेद है। इनका वर्णन निम्न प्रकार है-

1 अर्थ की दृष्टि से शब्द- भेद

(i) सार्थक शब्द (ii) निरर्थक शब्द

(i) सार्थक शब्द

जिस वर्ण समूह का स्पष्ट रूप से कोई अर्थ निकले, उसे 'सार्थक शब्द' कहते हैं। जैसे- कमल, खटमल, रोटी, सेव आदि।

(ii) निरर्थक

जिस वर्ण समूह का कोई अर्थ न निकले उसे निरर्थक शब्द कहते है।

जैसे- राटी, विठा, चीं, वाना, वोती आदि।

सार्थक शब्दों के अर्थ होते है और निरर्थक शब्दों के अर्थ नहीं होते। जैसे- 'पानी' सार्थ शब्द है और 'नीपा' निरर्थक शब्द, क्योकि इसका कोई अर्थ नहीं।

(2) प्रयोग की दृष्टि से शब्द-भेद

शब्दों के सार्थक मेल से वाक्यों की रचना होती है। वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। शब्द भाषा की प्राणवायु होते हैं। वाक्यों में शब्दों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, इस आधार पर हम शब्दों को दो वर्गों में बाँटते हैं:

(i) विकारी शब्द (ii) अविकारी शब्द

(i) विकारी शब्द- जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन का विकार आता है, उन्हें विकारी शब्द कहते है।

इसे हम ऐसे भी कह सकते है- विकार यानी परिवर्तन। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण विकार (परिवर्तन) आ जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं।

जैसे- लिंग-लडका पढता है।..... लडकी पढती है।

वचन- लडका पढता है। ..... लडके पढते है।

कारक- लडका पढता है। .....लडके को पढने दो।

विकारी शब्द चार प्रकार के होते है-

(i) संज्ञा (noun) (ii) सर्वनाम (pronoun) (iii) विशेषण (adjective) (iv)क्रिया (verb)

(ii) अविकारी शब्दः जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकार शब्द कहते हैं।

दूसरे शब्दों में- अ+विकारी यानी जिनमें परिवर्तन न हो। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, अविकारी शब्द कहलाते हैं।

जैसे- परन्तु, तथा, यदि, धीरे-धीरे, अधिक आदि।

अविकारी शब्द भी चार प्रकार के होते है-

(i) क्रिया- विशेषण

(ii) सम्बन्ध बोधक

(iii) समुच्चय बोधक

(iv) विस्मयादि बोधक

3. उत्तपत्ति की दृष्टि से शब्द-भेद

(i) तत्सम शब्द (ii) तद्भव शब्द (iii) देशज शब्द एवं (iv) विदेशी शब्द।

(i) तत्सम शब्द :-संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिन्दी में अपने वास्तविक रूप में प्रयुक्त होते है, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं।

दूसरे शब्दों में :- तत् (उसके) + सम (समान) यानी वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना किसी बदलाव (मूलरूप में) के लिए गए है, तत्सम शब्द कहलाते हैं।

सरल शब्दों में- हिंदी में संस्कृत के मू शब्दों को 'तत्सम' कहते हैं।

जैसे- कवि, माता, विद्या, नदी, फल, पुष्प, पुस्तक, पृथ्वी, क्षेत्र, कार्य, मृत्यु आदि।

यहाँ संस्कृत के उन तत्समो की सूची है, जो संस्कृत से होते हुए हिंदी में आये है-

तत्सम	**हिंदी**	**तत्सम**	**हिंदी**
आम्र	आम	गेमल, गेमय	गोबर
उष्ट्र	ऊँट	घोडक	घोड़ा
चंचु	चोंच	पर्यक	पलंग
त्वरित	तुरंत	भक्त्त	भात
शलाका	सलाई	हरिद्रा	हल्दी, हरदी

चतुष्पदिका	चौकी	सपत्री	सौत
उद्वर्तन	उबटन	सूचि	सुई
खर्पर	खपरा, खप्पर	सक्तु	सत्तू
तिक्त	तीता	क्षीर	खीर

(ii) तद्भव शब्दः- ऐसे शब्द, जो संस्कृत और प्राकृत होकर हिंदी में आये है, 'तदभव' कहलाते है।

दूसरे शब्दों में- सस्कृत भाषा के ऐसे शब्द, जो बिगइकर अपने रूप को बदलकर हिन्दी में मिल गये है, 'तद्भव' शब्द कहलाते है।

तद् (उससे) + भव (होना) यानी जो शब्द संस्कृत भाषा से थोडे बदलाव के साथ हिंदी में आए हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं।

जैसे-

संस्कृत	**तद्भव**
दुग्ध	दूध

हस्त	हाथ
कुब्ज	कुबड़ा
कर्पूर	कपूर
अंधकार	अँधेरा
अक्षि	आँख
अग्नि	आग
मयूर	मोर
आश्चर्य	अचरज
उच्च	ऊँचा
ज्येष्ठ	जेठ
कार्य	काम
क्षेत्र	खेत
जिह्वा	जीभ
कर्ण	कण

तृण	तिनका
दंत	दाँत
उच्च	ऊँचा

संस्कृत	**तद्भव**
दिवस	दिन
धैर्य	धीरज
पंच	पाँच
पक्षी	पंछी
पत्र	पत्ता
पुत्र	बेटा
शत	सौ
अश्रु	आँसु
मिथ्या	झूठ
मूढ़	मूर्ख

मृत्यु	मौत
रात्रि	रात
प्रस्तर	पत्थर
शून्य	सूना
श्रावण	सावन
सत्य	सच
स्वप्न	सपना
स्वर्ण	सोना

ये शब्द संस्कृत से सीधे न आकर पालि, प्राकृत और अप्रभ्रंश से होते हुए हिंदी में आये है। इसके लिए इन्हें एक लम्बी यात्रा तय करनी पडी है। सभी तद्भव शब्द संस्कृत से आये है, परन्तु कुछ शब्द देश-काल के प्रभाव से ऐसे विकृत हो गये हैं कि उनके मुलरूप का पता नहीं चलता।

तद्भव के प्रकार-

तद्भव शब्द दो प्रकार के है- (1) **संस्कृत से आनेवाले** और (2) **सीधे प्राकृत से आनेवाले।**

हिंदी भाषा में प्रयुक्त होनेवाले बहुसंख्य शब्द ऐसे तद्भव है, जो संस्कृत-प्राकृत से होते हुए हिंदी में आये है। निम्नलिखित उदाहरणों से तद्भव शब्दों के रूप स्पष्ट हो जायेंगे-

संस्कृत	**प्राकृत**	**तद्भव हिंदी**
अग्नि	अग्गि	आग
मया	मई	मैं
वत्स	वच्छ	बच्चा, बाछा
चत्वारि	चतारी	चार
पुष्प	पुप्फ	फूल
मयूर	मऊर	मोर
चतुर्थ	चडत्थ	चौथा
प्रिय	प्रिय	पिय, पिया
वचन	वअण	बैन
कृतः	कओ	किया
मध्य	मज्झ	में

नव	नअ	नया
चत्वारि	चत्तारि	चार

संज्ञा (Noun)

संज्ञा की परिभाषा

संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते है, जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते है।

दूसरे शब्दों में- किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुग या भाव के नाम को संज्ञा कहते है।

जैसे- **प्राणियों के नाम**- मोर, घोडा, किरण, जवाहरलाल नेहरू आदि।

वस्तुओ के नाम- अनार, रेडियो, किताब, सन्दूक, आदि।

स्थानों के नाम- कुतुबमीनार, नगर, भारत, मेरठ आदि

भावों के नाम- वीरता, बढ़ापा, मिठास आदि

यहाँ 'वस्तु' शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ है, जो केवल वाणी और पदार्थ का वाचक नहीं, वरन उनके धमों का भी सूचक है।

साधारण अर्थ में 'वस्तु' का प्रयोग इस अर्थ में नहीं होता। अतः वस्तु के अन्तर्गत प्राणी, पदार्थ और धर्म आते हैं। इन्हीं के आधार पर संज्ञा के भेद किये गये हैं।

संज्ञा के भेद

संज्ञा के पाँच भेद होते है-

(1) **व्यक्तिवाचक** (proper noun)

(2) **जातिवाचक** (common noun)

(3) **भाववाचक** (abstract noun)

(4) **समूहवाचक** (collective noun)

(5) **द्रव्यवाचक** (material noun)

1. **व्यक्तिवाचक संज्ञाः** जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तितवाचक संज्ञा कहते हैं।
जैसे-

व्यक्ति का नाम- रवीना, सोनिया गाँधी, श्याम, हरि, सरेश, सचिन आदि।

वस्तु का नाम- कार, टाटा चाय, कुरान, गीता रामायण आदि।

स्थान का नाम- ताजमहल, कुतुबमीनार, जयपुर आदि।

दिशाओं के नाम- उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व।

देशों के नाम- भारत, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान, बर्मा ।

राष्ट्रीय जातियों के नाम- भारतीय, रूसी, अमेरिकी।

समुद्रों नाम- काला सागार, भुमध्य सागर, महासागर, प्रहासागार।

नदियों के नाम- गंगा, ब्रह्मपुत्र, बोल्ग, कृष्ण, कावेरी, सिन्धु।

पर्वतों के नाम- हिमालय, विन्ध्याचल, अलकनन्दा, कराकोरम।

नगरों, चौकों और सड़कों के नाम- वाराणसी, गया, चाँदनी चौक, हरिसन रोड, अशोक मार्ग।

पुस्तकों तथा समाचारपत्रों के नाम- रामचरितमानस, ऋग्वेद, धर्मयुग, इण्डियन नेशन, आर्यावर्त।

ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम- पानीपत की पहली लडाई, सिपाही-विद्रोह, अक्तूबर-क्रान्ति।

दिनों, महीनों के नाम- मई, अक्तूबर, जलाई, सोमवार, मंगलवार।

त्योहारों, उत्सवों के नाम- होली, दीवाली, रक्षाबन्धन, वियादशमी।

2. **जातिवाचक संज्ञाः**- बच्चा, जानवर, नदी, अध्यापक, बाजार, गली, पहाड, खिड़की, स्कूटर आदि शाब्द एक ही प्रकार प्राणी, वस्तु और स्थान का बोध करा रहे हैं। इसलिए ये 'जातिवाचक संज्ञा' हैं।

इस प्रकार-

जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों या प्रदाथों का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते है।

जैसे- लडका, पशु-पक्षयों, वस्तु, नदी, मनुष्य, पहाड आदि।

'लड़का' से राजेश, सतीश, दिनेश आदि सभी लडकों का बोध होता है।

'पशु-पक्षयों' से गय, घोड़ा, कुत्ता आदि सभी जाति का बाध होता है।

'वस्तु' से मकान कुर्सी, पस्तक, कलम आदि का बोध होता है।

'नदी' से गंगा यमुना, कावेरी आदि सभी नदियों का बोध होता है।

'मनुष्य' कहने से संसार की मनुष्य-जाति का बोध होता है।

'पहाड़' कहने से संसार के सभी पहाडों का बोध होता हैं।

3. भाववाचक संज्ञाः- थकान, मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, आजादी, हँसी, चढ़ाई, सागस, वीरता आदि शब्द-भाव, गुण, अवस्था तथा क्रिया के व्यापार का बोध करा रहे हैं। इसलिए ये 'भाववाचक संज्ञाएँ' हैं।
इस प्रकार-

जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं।

जैसे- उत्साह, ईमानदारी, वचपन, आदि। इन उदाहरणों में **'उत्साह'** से मन का भाव **'ईमानदारी'** से गुण का बोध होता है। **'बचपन'** जीवन की एक अवस्था या दशा को बताता है। अतः उत्याह, ईमानदारी, बचपन, आदि शब्द भाववाचक संज्ञाए हैं।

हर पदार्थ का धर्म होता है। पानीं में शीतलता, आग में गर्मी, मनुष्य में देवत्व और पशुत्व इत्यादि का होना आवश्यक है। पदार्थ का गुण या धर्म पदार्थ से अलग नहीं रह सकता। घोडा है, तो उसमे बल है, वेग है और आकार

भी है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह भाववाचक संज्ञा से भी किसी एक ही भाव का बोध होता है। 'धर्म, गुण, अर्थ' और 'भाव' प्रायः पर्यायवाची शब्द हैं। इस संज्ञा का अनुभव हमारी इन्द्रियों को होता है और प्रायः इसका बहुवचन नहीं होता।

भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण

भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय शब्दों से बनती हैं। भाववाचक संज्ञा बनाते समय शब्दों के अंत में प्रायः पन, त्व, ता आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है।

1. जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञ बनाना

जातिवाचक संज्ञा	भाववाचक संज्ञा	जातिवाचक संज्ञा	भाववाचक संज्ञा
स्त्री-	स्त्रीत्व	भाई-	भाईचारा
मनुष्य-	मनुष्यता	पुरुष-	पुरुषत्व, पौरुष
शास्त्र-	शास्त्रीयता	जाति-	जातीयता
पशु-	पशुता	बच्चा-	बचपन
दनुज-	दनुजता	नारी-	नारीत्व

पात्र-	पात्रता	बूढा-	बुढ़ापा
लड़का-	लड़कपन	मित्र-	मित्रता
दास-	दासत्व	पण्डित	पण्डिताई
अध्यापक-	अध्यापन	सेवक-	सेवा

2. विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना

विशेषण	**भाववाचक संज्ञा**	**विशेषण**	**भाववाचक संज्ञा**
लघु-	लघुता, लघुत्व, लाघव	वीर-	वीरता, वीरत्व

विशेषण	**भाववाचक संज्ञा**	**विशेषण**	**भाववाचक संज्ञा**
एक-	एकता, एकत्व	चालाक-	चालाकी
खदृा-	खटाई	गरीब-	गरीबी
गँवार-	गँवारपन	पागल-	पागलपन
बूढा-	बुढ़ापा	मोटा-	मोटापा
नवाब-	नवाबी	दीन-	दीनता, दैन्य

बड़ा-	बड़ाई	सुंदर-	सौदर्य, सुंदरता
भला-	भलाई	बुरा-	बुराई
ढीठ-	ढिठाई	चौड़ा-	चौड़ाई
लाल-	लाली, लालिमा	बेईमान-	बेईमानी
सरल-	सरलता, सारल्य	आवश्यकता-	आवश्यकता
परिश्रमी-	परिश्रम	अच्छा-	अच्छाई
गंभीर-	गंभीरता, गांभीर्य	सभ्य-	सभ्यता
स्पष्ट-	स्पष्टता	भावुक-	भावुकता
अधिक-	अधिकता, आधिक्य	गर्म-	गर्मी
सर्द-	सर्दी	कठोर-	कठोरता
मीठा-	मिठास	चतुर-	चतुराई
सफेद-	सफेदी	श्रेष्ठ-	श्रेष्ठता
मुर्ख-	मूर्खता	राष्ट्रीय	राष्ट्रीयता

(1) क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना

क्रिया	**भाववाचक संज्ञा**	**क्रिया**	**भाववाचक संज्ञा**
खोजना-	खोज	सीना-	सिलाई
जीतना-	जीत	रोना-	रुलाई
लड़ना-	लड़ाई	पढ़ना-	पढ़ाई

चलना-	चाल, चलन	पीटना-	पिटाई

क्रिया	**भाववाचक संज्ञा**	**क्रिया**	**भाववाचक संज्ञा**
दैखना-	दिखावा, दिखावट	समझना-	समझ
सीचना-	सिंचाई	पड़ना-	पड़ाव
पहनना-	पहनावा	चमकना-	चमक
लूटना-	लूट	जोड़ना-	जोड़
घटना-	घटाव	नाचना-	नाच
बोलना-	बोल	पूजना-	पूजन
झूलना-	झूला	जोतना-	जुताई
कमाना-	कमाई	बचना-	बचाव
रुकना-	रुकावट	बनना-	बनावट
मिलना-	मिलावट	बुलाना-	बुलावा
भूलना-	भूल	छापना-	छापना,छपाई
बैठना-	बैठक, बैठकी	बढ़ना-	बाढ़

क्रिया	**भाववाचक संज्ञा**	**क्रिया**	**भाववाचक संज्ञा**

घेरना-	घेरा	छींकना-	छींक
फिसलना-	फिसलन	खपना-	खपत
रँगना-	रँगाई, रंगत	मुसकाना-	मुसकान
उड़ना-	उड़ान	घबराना-	घबराहट
मुड़ना-	मोड़	सजाना-	सजावट
चढ़ना-	चढाई	बहना-	बहाव
मारना-	मार	दौड़ना-	दौड़
गिरना-	गिरावट	कूदना-	कूद

लिंग (GENDER)

संज्ञा के जिस रुप से किसी व्यक्ति या वस्तु की पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता हैं उसे लिंग कहते हैं।

उदाहरण : माता, पिता, यमुना, शेर, शेरनी।

लिंग के भेद

लिंग के मुख्य रूप से २ भेद होते हैं :

(१) पुल्लिंग
(२) स्त्रीलिंग

पुल्लिंग

जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग शब्द कहते हैं।

जैसे : पिता, भाई, शिव, हनुमान, लडका, बैल।

स्त्रीलिंग

जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं।

जैसे : माता, बहन, यमुना, गंगा, बुआ, सडकी, लक्ष्मी, गाय।

स्त्रीलिंग प्रत्यय

पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए कुछ प्रत्ययों को शब्द में जोडा जाता है जिन्हें स्त्रीलिंग प्रत्यय कहते हैं।

उदाहरण :

ई = बडा- बडी, भला- भली

इनी = योगी- योगिनी, कमल- कमलिनी

इन = धोबी- धोबिन, तेली- तेलिन

नी = मोर- मोरनी, चोर- चोरनी

आनी = जेठ- जेठानी, देवर- देवरानी

आइन = ठाकुर- ठकुराइन, पंडित- पंडिताइन

इया = बेटा-बिटिया, लोटा- लुटिया

कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हुए भी लिंग की दृष्टि से भिन्न होते हैं। उनका उचित प्रयोग करना चाहिए।

उदाहरण :

पुल्लिंग- स्त्रीलिंग

कवि- कवयित्री

विद्वान- विदुषी

वचन -Vachan (Number)

वचन की परिभाषा

शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध होता है, उसे हिन्दी व्याकरण में 'वचन' कहते हैं। दूसरे शब्दों में- संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो, उसे 'वचन' कहते है।

जैसे-

फ्रिज में सब्जियाँ रखी हैं।

तालाब में मछलियाँ तैर रही है।

माली पौधे सींच रहा है।

कछुआ खरगोश के पीछे है।

उपर्युक्त वाक्यों में फ्रिज, तालाब, बच्चे, माली, कछुआ शब्द उनके एक होने का तथा सब्जियाँ, मछलियाँ, पौधे, खरगोश शब्द उनके एक से अधिक होने का ज्ञान करा रहे हैं। अतः यहाँ फ्रिज, तालाब, माली, कछुआ एकवचन के शब्द हैं तथा सब्जियाँ, मछलियाँ, पौधे, खरगोश बहुवचन के शब्द।

वचन का शाब्दिक अर्थ है- 'संख्यावचन'। 'संख्यावचन' को ही संक्षेप में 'वचन' कहते है। वचन का अर्थ कहना भी है।

वचन के प्रकार

वचन के दो भेद होते है-

(1) एकवचन

(2) बहुवचन

(1) एकवचनः- संज्ञा के जिस रूप से एक व्यक्ति या एक वस्तु होने का ज्ञान हो, उसे एकवचन कहते है। जैसे- स्त्री, घोडा, नदी, रुपया, लडका, गाय, सिपाही, बच्चा, कपडा माता, माला, पुस्तक, टोपी, बंदर मोर आदि।

(2) बहुवचनः- शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु होने का ज्ञान हो, उसे बहवचन कहते है। जैसे- स्त्रियां, घोडे, नदियाँ, रुपये, लडके, गाये, कपडे, टोपियाँ, मालाएं, माताएँ, पुस्तकें, वधुएँ, गुरुजन, रोटियाँ, लताएँ, बेटे आदि।

विशेष- (i) आदरणीय व्यक्तियों के लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे- पापाजी कल मुंबई जायेंगे।

(ii) संबद्ध दर्शाने वाली कुछ संज्ञाये एकवचन और बहुवचन में एक समान रहती है। जैसे-ताई, मामा, दादा, नाना, चाचा आदि।

(iii) द्रव्यसूचक संज्ञाये एकवचन में प्रयोग होती है। जैसे- पानी, तेल, घी, दूध आदि।

(iv) कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग किये जाते है जैसे- दम, दर्शन, प्राण, आँसू आदि।

(v) पुल्लिंग ईकारान्त, उकारान्त और उकारान्त शब्द दोनों वचनों में समान रहते है।

जैसे- एक मुनि- दस मुनि, एक डाकू- दस डाकू, एक आदमी- दस आदमी आदि।

(vi) बडप्पन दिखाने के लिए कभी-कभी वक्ता अपने लिए 'मैं' के स्थान पर 'हम' का प्रयोग करता है। जैसे- 'हमें' याद नहीं कि हमने कभी 'आपसे' ऐसा कहा हो।

(vii) व्यवहार में 'तुम' के स्थान पर 'आप' का प्रयोग करते हैं। जैसे – 'आप' कल कहाँ गये थे?

(viii) जातिवाचक संज्ञायें दोनों ही वचनों में प्रयुक्त होती है।

जैसे- (i) कुत्ता भौंक रहा है। (ii) 'कुत्ते' भौंक रहे है।

परन्तु धातुओं का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञायें एकवचन में ही प्रयुक्त होती है। जैसे- 'सोना' महँगा है, 'चाँदी' सस्ती है।

एकवचन से बहुवचन बनाने के नियम-

विभिक्तिरहित संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के नियम-

(1) आकारान्त पुल्लिंग शब्दों में 'आ' के स्थान पर 'ए' लगाने से-

एकवचन	**बहुवचन**
जूता	जूते
तारा	तारे
लड़का	लड़के
घोड़ा	घोडे
बेटा	बेटे
मुर्गा	मुर्गे
कपडा	कपडे

(2) अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में 'अ' के स्थान पर 'एं' लगाने से-

एकवचन	**बहुवचन**
कलम	कलमें
बात	बातें

रात	रातें
आँख	आखें
पुस्तक	पुस्तकें

(3) जिन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अन्त में 'या' आता है, उनमें 'या' के ऊपर चन्द्रबिन्दु लगाने से बहुवचन बनता है। जैसे-

एकवचन	**बहुवचन**
बिंदिया	बिंदियाँ
चिडिया	चिडियाँ
डिबिया	डिबियां
गुडिया	गुडियाँ
चुहिया	चुहियाँ

(4) ईकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों के 'इ' के स्थान पर 'इयाँ' लगाने से-

एकवचन	**बहुवचन**
तिथि	तिथियाँ
नारी	नारियाँ

गति	गतियाँ
थाली	थालियाँ

(5) आकारांत स्त्रीलिंग एकवचन संज्ञा-शब्दों के अन्त में 'एँ' लगाने से बहुवचन बनता है। जैसे-

एकवचन	**बहुवचन**
लता	लताएँ
अध्यापिका	अध्यापिकाएँ
कन्या	कन्याएँ
माता	माताएँ
भुजा	भुजाएँ
पत्रिका	पत्रिकाएँ
शाखा	शाखाएँ
कामना	कामनाए

(6) इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में 'याँ' लगाने से-

एकवचन	**बहुवचन**
जाति	जातियाँ
रीति	रीतियाँ

नदी	नदियाँ
लड़की	लड़कियाँ

(7) उकारान्त व ऊकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों के अन्त में 'एँ' लगाते है। 'ऊ' को 'उ' में बदल देते है-

एकवचन	**बहुवचन**
वस्तु	वस्तुएँ
गौ	गौएँ
बहु	बहुएँ
वधघू	वधुएँ
गऊ	गउएँ

(8) संज्ञा के पुंलिंग अथवा स्त्रीलिंग रूपों में 'गण' 'वर्ग' 'जन' 'लोग' 'वृन्द' 'दल' आदि शब्द जोडकर भी शब्दों का बहुवचन बना देते हैं। जैसे-

एकवचन	**बहुवचन**
स्त्री	स्त्रीजन
नारी	नारीवृन्द

अधिकारी	अधिकारीवर्ग
पाठक	पाठकगण
अध्यापक	अध्यापकवृंद
विद्यार्थी	विद्यार्थीगण
आप	आपलोग
श्रोता	श्रोताजन
मित्र	मित्रवर्ग
सेना	सेनादल
गुरु	गुरुजन
गरीब	गरीब लोग

(9) कुछ शब्दों में गुण, वर्ण, भाव आदि शब्द लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे-

एकवचन	**बहुवचन**
व्यापारी	व्यापारीगण
मित्र	मित्रवर्ग

नोट- कुछ शब्द दोनों वचनों में एक जैसे रहते हैं। जैसे- पिता, योद्धा, चाचा, मित्र, फल, बाज़ार, अध्यापक, फूल, छात्र, दादा, राजा, विद्रयार्थी आदि।

विभक्तिसहित संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के नियम-

विभक्तियों से युक्त होने पर शब्दों के बहुवचन का रूप बनाने से लिंग के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके कुछ सामान्य नियम निम्नलिखित है-

(1) अकारान्त, आकारान्त (संस्कृत-शब्दों को छोडकर) तथा एकारान्त संज्ञाओं में अन्तिम 'अ', 'आ' या 'ए' के स्थान पर बहुवचन बनाने में 'ओ' कर दिया जाता है। जैसे-

एकवचन	**बहुवचन**
लडका	लडकों
घर	घरों
गधा	गधों
घोडा	घोडों
चोर	चोरों

(2) संस्कृत की आकारान्त तथा संस्कृत-हिन्दी की सभी उकारान्त, ऊकारान्त, अकारान्त, औकारान्त संज्ञाओं को बहुवचन का रूप देने के लिए अन्त में 'ओ' जोडना पडता है। उकारान्त शब्दों में 'ओ' जोडने के पूर्व 'ऊ' को 'उ' कर दिया जाता है।

एकवचन	**बहुवचन**
लता	लताओं
साधु	साधुओं
वधू	वधुओं
घर	घरों
जौ	जौओं

(3) सभी इकारान्त और ईकारान्त संज्ञाओं का बहुवचन बनाने के लिए अन्त में 'यों' जोड़ा जाता है। 'इकारान्त' शब्दों में 'यो' जोडने के पहले 'ई' कर दिया जाता है। जैसे-

एकवचन	**बहुवचन**
मुनि	मुनियों
गली	गलियों
नदी	नदियों
साडी	साडियों
श्रीमती	श्रीमतियों

वचन की पहचान

वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा क्रिया के द्वारा होती है- यह स्पष्ट है।

(1) हिंदी भाषा में आदर प्रकट करने के लिए एकवचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है।

जैसे-

गाँधीजी हमारे राष्ट्रपिता हैं। पिता जी आप कब आए? मेरी माता जी मुंबई गई है।

शिक्षक पढ़ा रहे हैं। डॉ. मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री है।

(2) कुछ शब्द सदैव एकवचन में रहते है।

जैसे-

आकाश में बादल छाए हैं।

निर्दलीय नेता का चयन जनता द्वारा किया गया।

नल खुला मत छोडो, वरना सारा पानी खत्म हो जाएगा।

मुझे बहुत क्रोध आ रहा है।

राजा को सदैव अपनी प्रजा का ख्याल रखना चाहिए।

गाँधी जी सत्य के पुजारी थे।

(3) द्रव्यवाचक, भाववाचक तथा व्यक्तिवाचक संज्ञाएँ सदैव एकवचन में प्रयुक्त होती है।

जैसे-

चीनी बहुत महँगी हो गई है।

पाप से घृणा करो, पापी से नहीं।

बुराई की सदैव पराजय होती है।

प्रेम ही पूजा है।

किशन बुद्धिमान है।

(4) कुछ शब्द सदैव बहुवचन में रहते है।

जैसे-

दर्दनाक दृश्य देखकर मेरे तो प्राण ही निकल गए।

आजकल मेरे बाल बहुत टूट रहे हैं।

रवि जब से अफसर बना है, तब से तो उसके दर्शन ही दुर्लभ हो गए हैं।

आजकल हर वस्तु के दाम बढ़ गए हैं।

वचन सम्बन्धी विशेष निर्देश

(1) 'प्रत्येक' तथा 'हरएक' का प्रयोग सदा एकवचन में होता है। जैसे-

प्रत्येक व्यक्ति यहीं कहेगा;

हरएक कुआँ मीठे जल का नहीं होता।

(2) दूसरी भाषाओं के तत्सम या तदभव शब्दों का प्रयोग हिन्दी व्याकरण के अनुसार होना चाहिए।

उदाहरणार्थ, अँगरेजी के 'फुट' (foot) का बहुवचन 'फीट' (feet) होता है किन्तु हिन्दी में इसका प्रयोग इस प्रकार होगा- दो फुट लम्बी दीवारा है; न कि 'दो फीट लम्बी दीवार है'।

(3) प्राण, लोग, दर्शन, आँसू, ओठ, दाम, अक्षत इत्यादि शब्दों का प्रयोग हिन्दी में बहुवचन में होता है।

जैसे-आपके ओठ खुले कि प्राण तृप्त हुए।

आपलोग आये, आर्शीवाद के अक्षत बरसे, दर्शन हुए।

(4) द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एकवचन में होता है। जैसे- उनके पास बहुत सोना हैः

उनका बहुत-सा धन बरबाद हुआ;

न नौ मन तेल होग, न राधा नाचेगी।

किन्तु, यदि द्रव्य के भित्र-भित्र प्रकारों का बोध हों, तो द्रव्यवाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त होगी।

जैसे- यहाँ बहुत तरह के लोहे मिलते है। चमेली, गुलाब, तिल इत्यादि के तेल अच्छे होते है।

कारक -Karak (case)

कारक (case) की परिभाषा

संज्ञा या सर्वनाम के जिस रुप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका (संज्ञा या सर्वनाम का) सम्बन्ध सूचित हो, उसे (उस रुप को) 'कारक' कहते हैं।

अथवा- संज्ञा या सर्वनाम के जिस रुप से उनका (संज्ञाया सर्वनाम का) क्रिया से सम्बन्ध सूचित हो, उसे (उस रुप को) 'कारक' कहते हैं।

इन दो 'परिभाषाओं' का अर्थ यह हुआ कि संज्ञा या सर्वनाम के आगे जब 'ने', 'को', 'से' आदि विभक्तियाँ लगती हैं, तब उनका रूप ही 'कारक' कहलाता हैं।

तभी वे वाक्य के अन्य शब्दों से सम्बन्ध रखने योग्य 'पद' होते है और 'पद' की अवस्था में ही वे वाक्य के द्रसरे शब्दों से या क्रिया से कोई लगाव रख पाते हैं। 'ने', 'को', 'से' आदि विभित्र कारकों की है। इनके लगने पर ही कोई शब्द 'कारकपद' बन पाता है और वाक्य में आने योग्य होता है। 'कारकपद' या 'क्रियापद' बने बिना कोई शब्द वाक्य में बैठने योग्य नहीं होता।

दूसरे शब्दों में- संज्ञा अथवा सर्वनाम को क्रिया से जोडने वाले चिहन अथवा परसर्ग ही कारक कहलाते हैं।

जैसे- "रामचन्द्रजी ने खारे जल के समुद्र पर बन्दरों से पुल बँधवा दिया।"

इस वाक्य में 'रामचन्द्रजी ने', 'समुद्र पर', 'बन्दरों से' और 'पुल' संज्ञाओं के रूपान्तर है, जिनके दवारा इन संज्ञाओं का सम्बन्ध 'बँधवा दिया' क्रिया के साथ सूचित होती है।

दूसरा उदाहरण-

श्रीराम ने रावण को बाण से मारा

इस वाक्य में प्रत्येक शब्द एक-दूसरे से बँधा है और प्रत्येक शब्द का सम्बन्ध किसी न किसी रूप में किया के साथ है।

यहाँ 'ने', 'को', 'से' शब्दों ने वाक्य में आये अनेक शब्दों का सम्बन्ध क्रिया से जोड दिया है। यदि ये शब्द न हो तो शब्दों का किया के साथ तथा आपस में कोई सम्बन्ध नहीं होगा। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ सम्बन्ध स्थापित करने वाला रूप कारक होता है।

कारक के भेद-

हिन्दी में कारको की संख्या आठ है-

(1) कर्ता कारक (Nominative case)

(2) कर्म कारक (Accusative case)

(3) करण कारक (Instrument case)

(4) सम्प्रदान कारक(Dative case)

(5) अपादान कारक(Ablative case)

(6) सम्बन्ध कारक (Gentive case)

(7) अधिकरण कारक (Locative case)

(8) संबोधन कारक (Vocative case)

कारक के विभक्ति चिन्ह

कारकों की पहचान के चिहन व लक्षण निम्न प्रकार हैं-

कारक	लक्षण	विभक्ति चिह्न
(1) कर्ता	जो काम करें	ने
(2) कर्म	जिस पर क्रिया का फल पड़े	को
(3) करण	काम करने (क्रिया)का साधन	से, के द्वारा
(4) सम्प्रदान	जिसके लिए किया की जाए	को, के लिए
(5) अपादान	जिससे कोई वस्तु अलग हो	से (अलग के अर्थ में)
(6) सम्बन्ध	जो एक शब्द का दूसरे से सम्बन्ध जोड़े	का, की, के, रा, री, रे
(7)	जो क्रिया का	में, पर

अधिकरण	आधार हो	
(8) सम्बोधन	जिससे किसी को पुकारा जाये	हे ! अरे ! हो !

(1) कर्ता कारक (Nominative case)

वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आता है, उसे कर्ता कारक कहते है। दूसरे शब्द में- क्रिया का करने वाला 'कर्ता कारक' कहलाता है।

इसकी विभक्ति 'ने' है। कभी- कभी विभक्ति नहीं भी लगती। जैसे-

राम ने रावण को मारा।

राधा नाचती है।

(2) **कर्म कारक** (Accusative case)- जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पडे उसे कर्म कारक कहते है।

दूसरे शब्दों में- वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पडता है, उसे कर्म कारक कहते है।

इसक विभक्ति 'को' है।

जैसे- माँ बच्चे को सुला रही है।

इस वाक्य में सुलाने की क्रिया का प्रभाव बच्चे पर पड रहा है। इसलिए 'बच्चे को' कर्म कारक है।

राम ने रावण को मारा। यहाँ रावण को कर्म है।

विशेष- कभी-कभी 'को' चिह्न का प्रयोग नहीं भी होता है। जैसे- मोहन पुस्तक पढता है।

3 करण कारक :- क्रिया के साधन का बोध करने वाले संज्ञा के रूप को करण कारक कहते है। इसकी विभक्ति 'से' है। जैसे:-

राम कलम से पत्र लिखता है।

इस वाक्य में 'कलम से' करण कारक है, क्योंकि लिखने की क्रिया कलम द्वारा ही रही है।

4 संप्रदान कारक :- जिसे कुछ दिया जाय या जिसकेलिए कुछ किया जाय उसे बोध कराने वाले संज्ञा के रूप को संप्रदान कारक कहते है। 'को', 'केलिए', 'के वास्ते' इसकी विभक्तियाँ हैं। जैसे:-

रामू को एक रुपया दो।

माँ ने बच्चे केलिए खिलौना खरीदा।

5 अपादान कारक:- संज्ञा के उस रूप को जिससे पृथकत्व या अलगाव का बोध होता है अपादान कारक कहते हैं। करण कारक की तरह इसकी भी विभक्ति 'से' है। किन्तु दोनों कारकों के प्रयोगों में अर्थ-भेद है। जैसे:-

अभी स्कूल से आ रहा हूँ

इस वाक्य में 'स्कूल से' अपादान कारक है क्योंकि यहां स्कूल से पृथकत्व प्रकट करता है।

अपादान कारक का प्रयोग निम्नलिखित अर्थों में भी होता है।

(क) जहाँ से कोई क्रिया आरंभ की जाय। जैसे- आज से स्कूल बंद है।

(ख) तुलना प्रकट करने में। जैसे- भरत राम से छोटे थे।

6 सम्बन्ध कारक:- संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से सम्बन्ध प्रकट हो वह सम्बन्ध कारक है। इस कारक की विभक्तियाँ 'का','के', 'की' है। जैसे:-

यह राम का घर है।

ये राम के बच्चे हैं।

यह राम की पुस्तक है।

7 अधिकरण कारक:- संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है अधिकरण कारक कहलाता है। इस कारक की विभक्तियाँ 'में', और 'पर' हैं। जैसे:-

इस घर में कौन रहता है?

मेज पर किताब राखी है।

8 सम्बोधन कारक:- संज्ञा के जिस रूप से किसी को चेताने या पुकारना सूचित होता है उसे सम्बोधन कारक कहते हैं। जैसे:-

हे राम!

अरे छोकरे! तू कहाँ नौकरी करता है?

सम्बोधन कारक की कोई विभक्ति नहीं है, उसको प्रकट करने केलिए 'हे', 'अरे', 'अहो' आदि अव्यय शब्द संज्ञा के आदि में लगते हैं।

MODULE II

सर्वनाम - Sarvanam (Pronoun)

जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं।

उदाहरणः में. तू. आप (स्वय), यह, वह, जो, कोई, कोई, कुछ, कौन, क्या।

सर्वनाम के भेद

सर्वनाम के मुख्य रूप से छः भेद हैंः

(१) पुरुषवाचक सर्वनाम (Personal Pronoun)

(२) निजवाचक सर्वनाम (Reflexive Pronouns)

(३) निश्चयवाचक सर्वनाम(Demonstrative pronouns)

(४) अनिश्चयवाचक सर्वनाम (Indefinite Pronouns)

(५) सम्बन्धवाचक सर्वनाम (Relative Pronouns)

(६) प्रश्नवाचक सर्वनाम (Interrogative pronouns)

पुरुषवाचक सर्वनाम (Purushvachak Sarvanam)

जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे- मैं, तुम, हम, आप, वे।

पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद हैं:

उत्तम पुरुष (प्रथम पुरुष)

इन सर्वनाम का प्रयोग बात कहने या बोलने वाला अपने लिए करता है।

उदाहरण: मैं, मुझे, मेरा, मुझको, हम, हमें, हमारा, हमको।

मध्यम पुरुष

इन सर्वनाम का प्रयोग बात सुनने वाले के लिए किया जाता है।

उदाहरण: तू, तुझे, तेरा, तुम, तुम्हे, तुम्हारा ।

आदर सूचक: आप, आपको, आपका, आप लोग, आप लोगों को आदि।

अन्य पुरुष

इन सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला वाला अन्य किसी व्यक्ति के लिए करता है।

उदाहरणः वह, उसने, उसका, उसे, उसमें, वे, इन्होने, उनको, उनका, उन्हें, उनमें आदि।

निजवाचक सर्वनाम (Nijvachak Sarvanam)

जो सर्वनाम शब्द करता के स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं।

जैसेः स्वयं, आप ही, खुद, अपने आप।

उदाहरणः

उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया।

मैं खुद फोन कर लूँगा।

तुम स्वयं यह कार्य करो।

श्वेता आप ही चली गयी।

नोटः इसके 'आप' का प्रयोग का अपने लिए/ स्वयं होता है आदर सूचक 'आप' के लिए नहीं।

निश्चयवाचक सर्वनाम

जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयकवाचक सर्वनाम कहते हैं।

जैसेः यह, वह, ये, वे।

उदाहरणः

यह मेरी घडी है।

वह एक लड़का है।

वे इधर ही आ रहे हैं।

अनिश्चयवाचक सर्वनाम

जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं।

जैसेः कुछ, किसी ने (किसने), किसी को, किन्ही ने, कोई, किन्ही को।

उदाहरणः

लस्सी में कुछ पडा है।

भिखारी को कुछ दे दो।

कौन आ रहा है।

राम को किसने बुलाया है।

शायद किसी ने घंटी बजायी है।

सम्बन्धवाचक सर्वनाम

जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से सम्बन्ध ज्ञात होता है उसे सम्बन्धवाचक सर्वनाम कहते हैं।

जैसः जो-सो, जहाँ-वहाँ, जैसा-वैसा, जौन- तौन।

उदाहरणः

जहाँ चाह वहाँ राह।

जैसा बोओगे वैसा काटोगे।

वह कौन है जो रो पडा।

जो सो गया वो खो गया।

जो करेगा सो भरेगा।

प्रश्नवाचक सर्वनाम

जिन सर्वनाम से वाक्य में प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं।

जैसेः कौन, कहाँ, क्या, कैसे।

उदाहरण :

रमेश क्या खा रहा है।

कमरे मैं कौन बैठा है।

वे कल कहाँ गए थे।

आप कैसे हो।

नोट : कुछ सर्वनाम शब्द ऐसे भी होते हैं संयुक्त सर्वनाम की कोटि में रखा गया हैं।

जैसे : जो कोई, सब कोई, कुछ और, कोई न कोई।

उदाहरण :

जो कोई आए उसे रोक लो।

जाओ, वहाँ कोई न कोई तो मिल ही जायेगा।

देखो, कुछ और लोग वहाँ हैं।

कोई- कोई तो बिना बात बहस करता है।

कौन- कौन आ रहा है।

किस- किस कमरे में छात्र पढ़ रहे है।

अपना- अपना बस्ता उठाओ और घर जाओ।

अब कुछ- कुछ याद आ रहा है।

विशेषण (Adjective)

विशेषण की परिभाषा

जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते है उन्हें विशेषण कहते है।

इसे हम ऐसे भी कह सकते है- जो किसी संज्ञा की विशेषता (गुण, धर्म आदि) बताये उसे विशेषण कहते है।

दूसरे शब्दों में- विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है, जो हर हालत में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है।

जैसे- यह भूरी गाया है, आम खट्टे है।

उपयुक्त वाक्यों में 'भूरी' और 'खट्टे' शब्द गाय और आम (संज्ञा) की विशेषता बता रहे है। इसलिए ये शब्द विशेषण है।

इसका अर्थ यह है कि विशेषणरहित संज्ञा से जिस वुस्तु का बोध होता है, विशेषण लगने पर उसका अर्थ सिमित हो जाता है। जैसे- घोडा, संज्ञा से घोडा-जाति के सभी प्राणियों का बोध होता है, पर 'काला घोडा' कहने से केवल काले घोडे का बोघ होता है, सभी तरह के घोडों का नहीं।

यहाँ 'काला' विशेषण से 'घोडा' संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित (सिमित) हो गयी है। कुछ वैयाकरणों ने विशेषण को संज्ञा का एक उपभेद माना है, क्योंकि विशेषण भी वस्तु का परोक्ष नाम है। लेकिन, ऐसा मानना ठीक नहीं; क्योंकि विशेषण का उपयोग संज्ञा के बना नहीं हो सकता।

विशेष्य- विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते है, वे विशेष्य कहलाते है।

दूसरे शब्दों में- जिस शब्दकी विशेषता प्रकट की जाये, उसे विशेष्य कहते हैं।

जैसे- उपयुक्त विशेषण के उदाहरणों में 'गाय' और 'आम' विशेष्य है क्योंकि इन्हीं की विशेषता बतायी गयी है।

प्रविशेषण-कभी- कभी विशेषणों के भी विशेषण बोले और लिखे जाते है।जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते है, वे प्रविशेषण कहलाते है।

जैसे-यह लडकी बहुत अच्छी है।

में पूर्ण स्वस्थ हुँ।

उपर्युक्त वाक्य में 'बहुत' 'पूर्ण' शब्द 'अच्छी' तथा 'स्वस्थ' (विशेषण) की विशेषता बता रहे है, इसलिए ये शब्द प्रविशेषण है।

विशेषण के प्रकार

विशेषण निम्नलिखित पाँच प्रकार होता है-

(1) गुणवाचक विशेषण (Adjective of Quality)

(2) संख्यावाचक विशेषण (Adjective of Number)

(3) परिमाणवाचकविशेषण (Adjective of Quantity)

(4) संकेतवाचक विशेषण (Demonstrative Adjective)

(5) व्यक्तिवाचक विशेषण (Proper Adjective)

(1) **गुणवाचक विशेषणः** वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द (विशेष्य) के गुण-दोष, रूप-रंग, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था, स्थान आदि की विशेषता प्रकट करते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते है।

जैसे- गुण वह एक अच्छा आदमी है।

रंग-काला टोपी, लाला रुमाल।

आकार- उसका चेहरा गोल है।

अवस्था- भूखे पेट भजन नहीं होता।

(2) संख्यावाचक विशेषण :- जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या की बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके दो भेद : - **1)** निश्चित संख्यावाचक 2) अनिश्चित संख्यावाचक

निश्चित संख्यावाचक:- जो विशेषण जिनसे निश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे:- चार, आठवाँ, दस गुणा, सातों। इसके फिर चार भेद हैं। -

(क) गणनावाचक- गणनावाचक विशेषणों से गणना की जाती है। जैसे:- एक मनुष्य, पाँच फूल, सात वृक्ष।

(ख) क्रमवाचक- क्रमवाचक विशेषणों की क्रमानुसार गणना का ज्ञान होता है। जैसे:- पहला, दूसरा, चौथा, दसवाँ आदि।

(ग) आवृत्तिवाचक- आवृत्तिवाचक विशेषण यह बताता है कि विशेष्य से जिस वस्तु का बोध होता हैं वह के गुणा है। गणनावाचक विशेषण के अंत में 'गुना' लगाने से आवृत्तिवाचक विशेषण बनता है। जैसे:- दुगना, तिगुना,चौगुना आदि। इकहरा, दोहरा, तिहरा इत्यादि 'हारा' प्रत्यय लगकर बने हुए शब्द को भी आवृत्तिवाचक विशेषणों में गणना होती है।

(घ) समुदायवाचक- जिस पद से संख्या के समुदाय का बोध हों वह समुदाय वाचक विशेषण कहलाता है। साधारण गणनावचक विशेषणों के अंत में 'ओ' लगाने से समुदायवाचक विशेषण बन जाते हैं। जैसे:- तीन+ओं=तीनों, चार+ओं=चारों, 'दो' के साथ 'ओं' की जगह 'नों' लगता है।– तुम दोनों वहां जाओ।

अनिश्चित संख्यावाचक-इस विशेषण से निश्चित संख्या का ज्ञान नहीं होता है। जैसे:- कुछ लड़के, कई लड़कियाँ, अनेक बच्चे।

3. परिमाणवाचक विशेषण:- जिस विशेषण से किसी वस्तु के माप तोल या परिमाण का पता ल , वह परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे- दो गज कपड़ा, दो सेर दूध, मन भर घी।

परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद है। 1) नि त परिमाणवाचक 2) अनिश्चित परिमाणवाचक

निश्चित परिमाणवाचक- जिससे किसी निश्चित परिमाण का पता लगे उसे निश्चित परिमाणवाचक कहते है। जैसे:- सवा सेर गेहूँ, दो मन दूध, पाव भर चीनी।

अनिश्चित परिमाणवाचक:- जिससे किसी निश्चित परिमाण का पता न लगे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते है। जैसे:- बहुत दूध। सब, बहुत, थोड़ा, अधिक, कम, सारा, कुछ इत्यादि विशेषण अनिश्चित परिमाणवाचक में आते है।

4) सार्वनामिक या निर्देशक विशेषण- जिस विशेषण से किसी ओर निर्देश या संकेत किया जाता है उसे निर्देश विशेषण कहते हैं। निर्देश 'यह', 'वह' आदि सर्वनाम शब्दों से

ही किया जाता है, इसलिए निर्देश विशेषण को सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। 'वह बन्दर बैठा है', 'यह पुस्तक पढ़ी है'; आदि वाक्यों में 'वह' और 'यह' निर्देशक विशेषण है, क्योंकि इन शब्दों से 'बन्दर' और 'पुस्तक' की ओर इशारा पाया जाता है।

Kal (Tense)

काल की परिभाषा

क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं।

दूसरे शब्दों में- क्रिया के उस रूपान्तर को काल कहते हैं, जिससे उसके कार्य-व्यापर का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो।

जैसे-

(1) बच्चे खेल रहे हैंय़ मैडम पढा रही है।

(2) बच्चे खेल रहे थे। मैडम पढा रही थी।

(3) बच्चे खेलेगे। मैडम पढायेंगी।

पहले वाक्य में क्रिया वर्तमान समय में हो रही है। दूसरे वाक्य में क्रिया पहले ही समाप्त हो चुकी थी तथा तीसरे वाक्य की क्रिया आने वाले समय में होगी। इन वाक्यों की क्रियाओं से कार्य के होने का समय प्रकट हो रहा है।

काल के भेद

काल के तीन भेद होते हैं-

(1) वर्तमान काल(PresentTense)-जो समय चल रहा है।

(2)भूतकाल (Past Tense)- जो समय बीत चुका है।

(3)भविष्यत काल (Future Tense)-जोसमयआनेवाला है।

(1) वर्तमान काल – क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में चल रहे समय का बोध होता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं।

जैसे- पिता जी समाचार सुन रहे हैं।

पुजारी पूजा कर रहा है।

प्रियंका स्कूल जाती है।

उपर्युक्त वाक्यों में क्रिया के वर्तमान समय में होने का पता चल रहा है। अतः ये सभी क्रियाएँ वर्तमान काल की क्रियाएँ हैं।

वर्तमान काल की पहचान के लिए वाक्य के अन्त में 'ता, ती, ते, है, हैं' आदि आंते है।

वर्तमान काल के भेद

वर्तमान के तीन भेद होते हैं।:-

(i) सामान्य वर्तमानकाल

(ii) संदिग्ध वर्तमानकाल

(iii) अपूर्ण वर्तमानकाल

(i) सामान्य वर्तमानकालः क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमानकाल में होना पाया जाय, सामान्य वर्तमानकाल कहलाता है।

दूसरे शब्दों में- जो क्रिया वर्तमानकाल में सामान्य रूप से होत है, वह सामान्य वर्तमान काल क क्रिया कहलाती है। जैसे- वह आता है। वह देखता है। दादी माला जपती हैं।

(ii) संदिग्ध वर्तमानकालः जिससे क्रिया के होने में सन्देह प्रकट हो पर उसक वर्तमानकाल में सन्देह न हो। उसे संदिग्ध वर्तमानकाल कहते हैं।

सरल शब्दों में-

जिसे क्रिया के वर्तमान समय में पूर्ण होने में संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमानकाल कहते हैं।

जैसे- राम खाता होगा; वह पढता होगा।

उपर्युक्त वाक्यों की क्रियाओं के होने में संदेह है। अतः ये संदिग्ध वर्तमान काल की क्रियाएँ हैं।

(iii) अपूर्ण वर्तमानकालः क्रिया का वह रूप, जिससे यह मालूम हो कि क्रिया का व्यापार अभी जारी है, अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान कहलाता है। धातु के साथ पुरुष, लिग तथा वचन के अनुसार 'रहा हूँ', 'रही हूँ' , 'रहे हो', 'रहा है', 'रहे हैं', 'रही है', तथा 'रही हैं' जोड़ने से अपूर्ण वर्तमान काल बनता है। जैसे-

मैं पढ़ रहा हूँ। वे पढ़ रहे हैं। लड़कियाँ पढ़ रही हैं।

(2) भूतकाल

क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है, उसे भूतकाल कहते है।

सरल शब्दों में- जिससे क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो, उसे भूतकाल की क्रिया कहते हैं।

जैसे- वह खा चुका था, राम ने अपना पाठ याद किया, मैंने पुस्तक पढ ली थी।

उपर्युक्त सभी वाक्य बीते हुए समय में क्रिया के होने का बोध करा रहे हैं। अतः ये भूतकाल के वाक्य है।

भूतकाल को पहचानने के लिए वाक्य के अन्त में 'था, थे, थी' आदि आते हैं।

भूतकाल के भेद

भूतकाल के छह भेद होते है-

(i) सामान्य भूतकाल

(ii) आसन भूतकाल

(iii) पूर्ण भूतकाल

(iv) अपूर्ण भूतकाल

(v) संदिग्ध भूतकाल

(vi) हेतुहेतुमद् भूत

(i) सामान्य भूतकाल

जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं।

दूसरे शब्दों में- क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीत समय में पूरा होने का बोध हो, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं।

जैसे- मोहन आया।

सीता गयी।

श्रीराम ने रावण को मारा

उपर्युक्त वाक्यों की क्रियाएँ बीते हुए समय में पूरी हो गई। अतः ये सामान्य भूतकाल की क्रियाएँ हैं।

(ii) आसन्न भूतकाल

क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं।

इससे क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल ही सूचित होती है।

जैसे- मैने आम खाया है।

मैं अभी सोकर उठी हूँ।

अध्यापिका पढाकर आई हैं।

उपर्युक्त वाक्यों की क्रियाएँ अभी-अभी पूर्ण हूई हैं। इसलिए ये आसन्न भूतकाल की क्रियाएँ हैं।

(iii) पूर्ण भूतकाल

क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूत कहते है, जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है कि क्रिया को समाप्त हुए काफी समय बीता है।

क्रिया के जिस रूप से उसके बहुत पहले पूर्ण हो जाने का पता चलता है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं।

जैसे- उसने श्याम को मारा था।

अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था।

महादेवी वर्मा ने संस्मरण लिखे थे।

उपर्युक्त वाक्यों में क्रियाएँ अपने भूतकाल में पूर्ण हो चुकी थीं। अतः ये पूर्ण भूतकाल की क्रियाएँ है।

पूर्ण भूतकाल में क्रिया के साथ 'था, थी, थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे' आदि लगता है।

(iv) अपूर्ण भूतकाल

इससे यह ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी, किन्तु उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता।

जैसे- सूरेश गीत गा रहा था।

रीता सो रही थी।

उपर्युक्त वाक्यों में क्रियाएँ से कार्य के अतीत में आरंभ होकर, अभी पूरा न होने का पता चल रहा है। अतः ये अपूर्ण भूतकाल की क्रियाएँ है।

(v) संदिग्ध भूतकाल

भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में पूरा होने में संदेह हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते है।

इसमें यह सन्देह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ या नहीं।

जैसे- तू गाया होगा।

बस छूट गई होगी।

दुकानें बंद हो चुकी होगी।

उपर्युक्त वाक्यों की क्रियाएँ से भूतकाल में काम पूरा होने में संदेह का पता चलता है। अतः ये संदिग्ध भूतकाल की क्रियाएँ हैं।

(vi) हेतुहेतुमद् भूतकाल

यदि भूतकाल में एक क्रिया के होने या न होने पर दूसरी क्रिया का होना या न निर्भर करता है, तो वह हेतुहेतुमद भूतकाल क्रिया कहलाती है।

इससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होनेवाली थी, पर किसी कारण न हो सका।

यदि तुमने परिश्रम किया होता, तो पास हो जाते।

यदि वर्षा होत, तो फसल अच्छी होती।

उपर्युक्त वाक्यों की क्रियाएँ एक-दूसरे पर निर्भर है। पहली क्रिया के न होने पर दूसरी क्रिया भी पूरी नहीं होती है। अतः ये हेतुहेतुमद् भूतकाल की क्रियाएँ है।

(3) भविष्यत काल

भविष्यत काल की पहचान के लिए वाक्य के अन्त में 'गा, गी, गो' आदि आते है।

भविष्यत काल के भेद

भविष्यत काल के तीन भेद होते है-

(i) सामान्य भविष्यत काल

(ii) सम्भाव्य भविष्यत काल

(i) सामान्य भविष्यत काल

क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता चलता है उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं।

इससे यह प्रकट होता है कि क्रिया सामान्यतः भविष्य में होगी।

जैसे- बच्चे कैरमबोई खेलेंगे।

वह घर जायेगा

दीपक अखबार बेचेगा

उपर्युक्त वाक्यों में क्रियाएँ भविष्य में सामान्य रूप से काम के होने की सूचना दे रही है। अतः ये सामान्य भविष्यत काल की क्रियाएँ हैं।

(ii) सम्भाव्य भविष्यत काल

क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चलता है, उसे सम्भाव्य भविष्यत काल कहते हैं।

जिससे भविष्य में किसी कार्य के होने की सम्भावना हो।

जैसे- शायद चोर पकडा जाए।

परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हों।

उपर्युक्त वाक्यों में क्रियाओं के भविष्य में होने की संभावना है। ये पूर्ण रूप से होगी, ऐसा निश्चित नहीं होता। अतः ये सम्भाव्य भविष्यत काल की क्रियाएँ हैं।

वाच्य Voice

वाच्य-क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया द्वारा संपादित विधान का विषय कर्ता है, कर्म है, अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं।

वाच्य के तीन प्रकार है-

(1) कर्तृवाच्य। (Active Voice)

(2) कर्मवाच्य। (Passive Voice)

(3) भाववाच्य। (Imporsonal Voice)

(1) कर्तृवाच्य

क्रिया के जिस रूप से वाक्य के उद्देश्य (क्रिया के कर्ता) का बोध हो, वह कर्तृवाच्य कहलाता है। इसमें लिंग एवं वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं। जैसे-

(1) बच्चा खेलता है।

(2) घोड़ा भागता है।

इन वाक्यों में 'बच्चा', 'घोड़ा' कर्ता हैं तथा वाक्यों में कर्ता की ही प्रधानता है। अतः 'खेलता है', 'भागता है' ये कर्तृवाच्य है।

(2) **कर्मवाच्य**- क्रिया के जिस रूप से वाक्य का उद्देश्य 'कर्म' प्रधान हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे-

1. भारत-पाक युद्ध में सहस्त्रों सैनिक मारे गए।
2. छात्रों द्वारा नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है।
3. पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी गई।
4. बच्चों के द्वारा निबंध पढ़े गए।

इन वाक्यों में क्रियाओं में 'कर्म' की प्रधानता दर्शाई गई है। उनकी रूप-रचना भी कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हुई है। क्रिया के ऐसे रूप 'कर्मवाच्य' कहलाते हैं।

(3) **भाववाच्य**- क्रिया के जिस रूप से वाक्य का उद्देश्य केवल भाव (क्रिया का अर्थ) ही जाना जाए वहाँ भाववाच्य होता है। इसमें कर्ता या कर्म की प्रधानता नहीं होती है। इसमें मुख्यतः अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है और साथ ही प्रायः निषेधार्थक वाक्य ही भाववाच्य में प्रयुक्त होते हैं। इसमें क्रिया सदैव पुल्लिंग, अन्य पुरुष के एक वचन की होती है।

प्रयोग

प्रयोग तीन प्रकार के होते हैं-

1. कर्तरि प्रयोग।
2. कर्मणि प्रयोग।
3. भावे प्रयोग।

1. **कर्तरि प्रयोग**- जब कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुरूप क्रिया हो तो वह 'कर्तरि प्रयोग' कहलाता है। जैसे-

1. लड़का पत्र लिखता है।
2. लड़कियाँ पत्र लिखती है।

इन वाक्यों में 'लड़का' एकवचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष है और उसके साथ क्रिया भी 'लिखता है' एकवचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष है। इसी तरह 'लड़कियाँ पत्र लिखती है' दूसरे वाक्य में कर्ता बहुवचन, स्त्रीलिंग और अन्य पुरुष है तथा उसकी क्रिया भ 'लिखती हैं' बहुवचन स्त्रीलिंग और अन्य पुरुष है।

2. **कर्मणि प्रयोग** – जब क्रिया कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुरूप हो तो वह 'कर्मणि प्रयोग' कहलाता है।

जैसे-

1. उपन्यास मेरे द्वारा पढ़ा गया।
2. छात्रों से निबंध लिखे गए।
3. युद्ध में हजारों सैनिक मारे गए।

इन वाक्यों में 'उपन्यास' 'सैनिक', कर्म कर्ता की स्थिति में है अतः उनकी प्रधानता है। इनमें क्रिया का रूप कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुरूप बदला है, अतः यहाँ 'कर्मणि प्रयोग' है।

3. **भावे प्रयोग**- कर्तरि वाच्य की सकर्मक क्रियाएँ, जब उनके कर्ता और कर्म दोनों विभक्तियुक्त हों तो वे 'भावे प्रयोग' के अंतर्गत आती हैं। इसी प्रकार भाववाच्य की सभी क्रियाएँ भी भावे प्रयोग में मानी जाती है। जैसे-

1. अनीता ने बेल को सींचा।
2. लड़कों ने पत्रों को देखा है।
3. लड़कियों ने पुस्तकों को पढ़ा है।

4. अब उससे चला नहीं जाता है।

इन वाक्यों की क्रियाओं के लिंग, वचन और पुरुष न कर्ता के अनुसार हैं और न ही कर्म के अनुसार, अपितु वे एकवचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष हैं। इस प्रकार के 'प्रयोग भावे' प्रयोग कहलाते हैं।

वाच्य परिवर्तन

1) **कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना-**

1. कर्तृवाच्य की क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदलना चाहिए।

2. उस परिवर्तित क्रिया-पूप के साथ काल, पुरुष, वचन और लिंग के अनुरूप जाना क्रिया का रूप जोड़ना चाहिए।

3. इनमें 'से' अथवा 'के द्वारा' का प्रयोग करना चाहिए। जैसे-

कर्तृवाच्य कर्मवाच्य

1. श्यामा उपन्यास लिखती है। श्यामा से उपन्यास लिखा जाता है।

2. श्यामा ने उपन्यास लखा। श्यामा से उपन्यास लिखा गया।

3. श्यामा उपन्यास लिखेगी। श्यामा से (के द्वारा) उपन्यास लिका जाएगा।

2) **कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना-**

1. इसके लिए क्रिया अन्य पुरुष और एकवचन में रखनी चाहिए।

2. कर्ता में करण कारक की विभक्ति लगानी चाहिए।

3. क्रिया को सामान्य भूतकाल में लाकर उसके काल के अनुरूप जाना क्रिया का रूप जोड़ना चाहिए।

4. आवश्यकतानुसार निषेधसूचक 'नहीं' का प्रयोग करना चाहिए। जैसे-

कर्तृवाच्य भाववाच्य

1. बच्चे नहीं दौड़ते। बच्चों से दौड़ा नहीं जाता।

2. पक्षी नहीं उड़ते। पक्षियों से उड़ा नहीं जाता।

3. बच्चा नहं सोया। बच्चे से सोया नहीं जाता।

MODULE III

सम्बन्ध बोधक अव्यय

जो अव्यय संज्ञा अथवा सर्वनाम के पीछे जाकर उसका वाक्य के दूसरे शब्दों से सम्बन्ध सूचित करते है उन्हें सम्बन्ध बोधक अव्यय कहा जाता है। ये अव्यय प्राय: संज्ञा,सर्वनाम के बाद आते है पर कभी संज्ञा या सर्वनाम के पूर्व भी प्रयुक्त होते है। जैसे:-

बिना परिश्रम के कुछ नहीं मिलता।

भूख के **मारे** चल न सकता था।

बाजार से स्टेशन **तक** का मार्ग दो मील है।

इन वाक्यों में 'बिना','मारे', 'तक'सम्बन्ध बोधक अव्यय है।

प्रयोग के अनुसार सम्बन्ध बोधक अव्यय के दो भेद किए जा सकते है।–

1) **सम्बद्ध**
2) **अनुबद्ध**

सम्बद्ध- जो सम्बद्ध बोधक अव्यय संज्ञाओं और सर्वनामों की विभक्तियों के बाद आते है, वे सम्बद्ध सम्बन्ध बोधक अव्यय कहलाते है। भीत , समीप, पास, नजदीक, बराबर, पीछे,आगे, परे आदि ऐसे सम्बन्ध बोधक है। जैसे - घर के भीतर, घर की ओर, घर के निकट, घर के पीछे, घर के आगे, घर से परे।

अनुबद्धः- जो संबंध बोधक अव्यय संज्ञा के बाद विभक्ति रहित रूप में प्रयुक्त होते है, वे अनुबद्ध संबन्ध बोधक अव्यय कहलाते है। जैसे:- सहित,तक,पर,रहित,हीन, मात्र आदि।

उदा:- वह परिवार सहित विवाह में आया था, दो महीनों तक मैं यहीं रहूँगा, घड़े भर पानी केलिए दो रुपये दिये।

पर कुछ अव्यय ऐसे भी है जिनके पहले विभक्ति सहित तथा विभक्ति रहित दोनों तरह की संज्ञायें आती हैं। जैसे:- द्वारा, बिना, तले,अनुसार- गोपाल द्वारा(गोपाल के द्वारा) मुझे यह कार्य मिला। सीता बिना (सीता के बिना) राम और लक्ष्मण का जंगल में रहना कठिन था।

उर्दू के प्रभाव से संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग संज्ञा के पूर्व भी होने लगा हैं। जैसे:-

मारे दुख के वह रो पड़ा।

बिना कारण वह मुझे मारने लगा।

व्युत्पत्ति या रूप के आधार पर संबन्ध बोधक के दो प्रकार हैं।

1) मूल
2) यौगिक

मूल:- जो अव्यय किसी दूसरे शब्द के योग से नहीं बनते अपितु अपने मूल रूप में ही रहते हैं। उन्हें मूल संबन्ध बोधक अव्यय कहते है। जैसे:- बिना, समेत, तक आदि।

यौगिक:- जो अव्यय संज्ञा, विशेषण, क्रिया आदि के योग से बनते हैं, उन्हें यौगिक संबन्ध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे पर्यन्त (परि + अंत)

समुच्चयबोधक(योजक)

दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को मिलनेवाले अव्यय योजक या समुच्चयबोधक कहलाते हैं। जैसे:- और, व,एव, तथा, या,

अथवा, किन्तु, परंतु, कि, क्योंकि, जो कि, ताकि, हालांकि, लेकिन, अतः,इसलिए इत्यादि।

राम **और** श्याम दोस्त हैं।

सुमन **तथा** सुनीता पढ़ रही हैं।

बाजार बंद है **इसलिए** वहाँ जाना बेकार है।

समुच्चयबोधक के दो भेद होते है:-

1) समानाधिकरण 2) व्याधिकरण

समानाधिकरण:- जो अव्यय दो या दो से अधिक पद, शब्दों या वाक्यों का संयोजन-विभाजन करते हैं, इन्हें समानाधिकरण समुच्चयबोधक कहते हैं। इसके चार उपभेद हैं। -

1) संयोजक
2) विभाजक
3) विरोधदर्शक
4) परिमाणदर्शक

संयोजक:- ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक वाक्यों को आपस में परस्पर जोड़ने का काम करते हैं, वे शब्द संयोजक

समानाधिकरण समुच्चयबोधक शब्द कहलाता हैं। जैसे:- भी, व, और, तथा, एव आदि।

राम **और** मोहन भाई हैं।

आलू **तथा** गोभी सब्जियों का उदाहरण हैं।

विभाजक:- ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों और वाक्यों य वाक्यांशों में विभाजन प्रकट करते है, वे शब्द विभाजक समानाधिकरण समुच्चयबोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे:- ताकि, चाहे-चाहे, या-या, क्या-क्या, न-न, न कि, नहीं तो, परंतु, तो, या, चाहे, अथवा, अन्यथा,वा, मगर आदि।

उसने बहुत कोशिश की **मगर** समय से नहीं पहूंच सका।

चाहे आज पढ़ो **चाहे** कल पढ़ो।

विरोधदर्शक:- ऐसे शब्द जो दो विरोधी कथन,वाक्य या उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, ऐसे शब्द विरोधदर्शक अव्यय कहलाता हैं। जैसे:- वरन, पर, मगर, किन्तु, परतु, लेकिन, बल्कि आदि।

रावण अहंकारी था **परंतु** विभीषण अत्यंत विनम्र था।(यहाँ दो कथनों का विरोध होने पर भी उन्हें जोड़ रहा है।)

अच्छा हो या बुरा **पर** मुझे यह काम करना है।

सीता आई **मगर** गीता नहीं आई।

परिणाम दर्शक:- ऐसे शब्द जो दो उपवाक्यों को जोड़ते है एवं जोड़ने के बाद उन दोनों क्य का परिणाम का बोध कराते है। ऐसे शब्द परिणाम दर्शक अव्यय कहलाता है। जैसे:- अत:, अतएव, इसलिए, फलत:, परिणाम स्वरूप, अन्यथा आदि।

मैं अंग्रेज़ी में दुर्बल हूँ, **अत:** आप मेरी सहायता करें।

अब रात होने लगी है **इसलिए** दोनों अपनी-अपनी जगह से उठे।

2) **व्याधिकरण-** जो अव्यय मुख्य वाक्य से एक या एक से अधिक आश्रित वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें व्याधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय कहते है। ये चार प्रकार के होते हैं:-

1) कारणवाचक (कारण दिखानेवाले)

2) उद्देश्यवाचक(उद्देश्य को दिखानेवाले)

3) संकेतवाचक (संकेत को दिखानेवाले)

4) स्वरूपवाचक (किसी स्वरूप को कहने वाले)

कारणवाचक- जिन शब्दों से प्रारंभ होनेवाले वाक्य पहले वाक्य का समर्थन करते हैं उसे करणवाचक व्याधिकरण समुच्चयबोधक कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों से परस्पर जुड़े दो उपवाक्यों के कार्य का कारण स्पष्ट होता है उसे कारण वाचक व्याधिकरण समुच्चयबोधक कहते हैं। इसके अंतर्गत कि, जोकि, क्योंकि, इसलिए कि, इसकारण, इसलिए, चूकि आदि शब्द आते हैं।

तुम पर कोई भरोसा नहीं करता **क्योंकि** तुम झूठ बोलते हो।

वह मुझे पसंद है **इसलिए कि** वह सुंदर है।

उद्देश्यवाचक:- ऐसे शब्द जो किन्हीं दो वाक्यों को जोड़कर उनका उद्देश्य प्रकट करते हैं, वे शब्द उद्देश्यवाचक व्याधिकरण समुच्चयबोधक कहलाते हैं। जैसे:- ताकि, कि, जो, इसलिए कि, जिससे आदि।

मैं तुम्हारेलिए पुस्तकें लावूंगा **ताकि** तुम पढ़ सको।

मैं ने यह सब इसलिए किया **कि** वह जल्दी आये।

संकेतवाचक- जब किन्हीं दो वाक्यों में पूर्ण वाक्य कि घटना से उत्तर वाक्य कि घटना का संकेत मिले, उन वाक्यों में जो समुच्चयबोधक शब्द प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें संकेतवाचक व्याधिकरण समुच्चयबोधक कहते हैं। जैसे:- यदि, तो, तथापि, यद्यपि, परतु आदि।

जिंदंगी में सफल होना है **तो** मेहनत करो।

अगर वह मुझे नहीं मिला **तो** मैं वापस आ जावूंगा।

जैसा कि ऊपर दिये गए उदाहरणों में देख सकते है कि कुछ शब्दों का प्रयोग करके पूर्ण वाक्य उत्तर वाक्य की ओर संकेत कर रहा है। अत: ये उदाहरण संकेत वाचक व्याधिक समुच्चयबोधक के अंतर्गत आयेंगे।

स्वरूप वाचक:- ऐसे समुच्चयबोधक शब्द जिनसे स्पष्टीकरण होती है यानि जिन शब्दों से मुख्य वाक्य का अर्थ स्पष्ट होता , वे शब्द स्वरूप वाचक व्याधिकरण समुच्चयबोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे: यानि, कि, अर्थात, मानो, जैसे आदि।

तुम्हारा चेहरा ऐसा लग रहा है **जैसे** कि कूई चाँद हो।

सात दिन **यानि** एक सप्तताह मुझे वहां रुखना पड़ेगा।

ऊपर दिये उदाहरणों में देख सकते है कि, जैसे, यानि, आदि शब्दों का प्रयोग कर के हमें मुख्य वाक्य के स्पष्टीकरण का बोध हो रहा है। अतः ये उदाहरण स्वरूप वाचक व्याधिकरण समुच्चयबोधक के अंतर्गत आयेंगे।

विस्मयादिबोधक (द्योतक)

जिन शब्दों से वक्ता के विस्मय, लज्जा, ग्लानि आदि मनोभाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। ऐसे शब्दों के साथ विस्मयादिबोधक चिह्न(!) का प्रयोग किया जाता हैं।

जैसे:- अरे!, ओह!, शाबाश!, वाह!, काश! आदि।

अरे! आप कौन हो।

वाह! खूब खेला। काश! उसके पिता जिंदा होते।

भिन्न भिन्न मनोविकारों को सूचित करने केलिए भिन्न भिन्न अव्यय प्रयोग में लाया जाता हैं। जैसे:-

हर्षबोधक – अहा!, वाह वाह!,धन्य धन्य, शाबाश आदि।

शोकबोधक- आह!, हाय!, ऊह!, हाय-हाय!, बाप रे!, हे राम! आदि

आश्चर्य बोधक- कहो!, ऐ!, ओहो!, हैं!

आशीर्वाद बोधक- जीते रहो!, सदा खुश रहो!

अनुमोदन बोधक- अवश्य!, बहुत अच्छा!,हाँ-हाँ!

स्वीकृति बोधक- ठीक!, अच्छा!, हाँ!, जी हाँ!

तिरस्कार बोधक- छी!,हट!, अरे,दूर, धिक, चुप!

संबोधन बोधक- अरे!, ओ!, अजी!, अरे रे!, हें!

कई एक संज्ञायेँ, क्रियाएँ, विशेषण और क्रिया- विशेषण भी विस्मयादी बोधक हो जाते हैं। जैसे:- भगवान, अच्छा,लो, हट,चुप क्यों, खैर आदि।

कभी- कभी वाक्यांश या वाक्य भी विस्मयादी बोधक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे:- क्यों न हो!, बहुत अच्छा!, सर्वनाश हो गया!,कमाल है!

जब विस्मयादी बोधक अव्यय वाक्य में संज्ञा के समान प्रयुक्त होते हैं तब इनकी गणना विस्मयादी बोधक में नहीं होती; क्योंकि तब ये किसी मनोभाव को प्रकट नहीं कराते, जैसे-

हाय-हाय क्यों मचा रखा हैं?

सब लोग त्राहि त्राहि पुकार उठे।

पंडित जी की वाह-वाह हुई।

क्रिया विशेषण

जिस अव्यय से क्रिया की कोई विशेषता जानी जाय उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे:-

जल्दी चलो, अभी आओ, थोड़ा खाया, धीरे चलो।

उपर्युक्त वाक्यों में जल्दी, अभी,थोड़ा, धीरे ये चारों शब्द अपने साथ की क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं। अतः ये क्रिया विशेषण है।

प्रयोग की दृष्टि से क्रिया विशेषण के तीन भेद माने जाते हैं।–

1) साधारण

2) संयोजक
3) अनुबद्ध

साधारण क्रिया-विशेषण- जिन क्रिया विशेषणों का प्रयोग किसी वाक्य में स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें साधारण क्रिया-विशेषण कहते हैं। जैसे:-

यह काम जल्दी करो।

धीरे बोलो।

संयोजक क्रिया-विशेषण- जूंका संबंध किसी खंड वाक्य से या उपवाक्य से होता है उन्हें संयोजक क्रिया-विशेषण कहते हैं। जैसे:-

जब भीमसेन स्वयं नहीं आया तब मैं ही जाकर क्या करूँगा।

जब अध्यापक आए तब विद्यार्थी खड़े हो गये।

अनुबद्ध क्रिय -विशेषण- जिंका प्रयोग अवधारण (निश्चय के) अर्थ में संज्ञा,सर्वनाम,विशेषण, क्रिया-विशेषण आदि किसी भी शब्द के साथ हो सकता ह, वे अनुबद्ध क्रिया-विशेषण कहलाते हैं। जैसे:-

देख तो लो।

चावल ही खाओंगे क्या?

वह उर्दू भी जानता है।

अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण चार प्रकार के हैं। -

1) कालवाचक
2) स्थानवाचक
3) परिणामवाचक
4) रीतिवाचक

कालवाचक- जिन क्रिया-विशेषणों से क्रिया के होने के समय का बोध हो, उन्हें कालवाचक क्रिया-विशेषण कहलाते हैं। जैसे:- आज, कल, परस्सों,पहले,पीछे, अब,तब, जब, कब, अभी, कभी, तभी, फिर, दिन भर, अंत में, प्रतिदिन, सुबह आदि।

श्यामू कल मेरे घर आया था।

परस्सों बरसात होंगी।

मैं ने सुबह खाना खाया था।

स्थानवाचक- जो विशेषण क्रिया के स्थान और दिशा आदि का बोध कराये वह स्थान वाचक क्रिया- विशेषण कहलाते हैं।

जैसे:- यहां,वहाँ,कहाँ,जहाँ, आगे, पीछे, ऊपर, दायें, बाएँ, बाहर, भीतर, साथ, पास, दूर, सामने, इधर, उधर, जिधर, किधर आदि।

तुम अंदर जाकर बैठो।

मैं बाहर खेलता हूँ।

शशि मुझसे बहुत दूर बैठी है।

परिमाणवाचक- ऐसे क्रिया-विशेषण शब्द जिनसे हमें क्रिया के परिमाण,संख्या या मात्र का पता चलता , वे शब्द परिमाणवाचक क्रिया-विशेषण कहलाते हैं। जैसे:- बहुत, अति, थोड़ा, अत्यंत, बड़ा, कम, भारी, हल्का, खूब, कुछ, जरा, बिलकुल, बस, काफी, सर्वथा,इतना, उतना, थोड़ा, पर्याप्त आदि।

मोहन अधिक खाना खाता है।

राम उसके दोस्त से ज़्यादा पड़ता है।

रीतिवाचक- जो शब्द क्रिया करने की रीति बताते हैं, रीतिवाचक क्रिया-विशेषण कहलाते है। जैसे:- ऐसे, कैसे, जैसे, तैसे, यों, क्यों, धीरे, एकाएक, साथ, उल्टा, फटाफट,

झटपट, अवश्य, वस्तुत:, सचमुच,कथचित, शायद,यथा,तथा, मानो, स्वयं, यों ही, वास्तव में, विशेषकर, ठीक, सच, मत, तो भी, मात्र, तक, भर, जो, इसलिए, न, नहीं आदि।

यह फटाफट खाता है।

शेर धीरे-धीरे आगे बढ़ता है।

बनावट की दृष्टि से क्रिया विशेषण तीन प्रकार के होते है।

1) मूल
2) यौगिक या संयुक्त
3) स्थानीय

मूल क्रिया- विशेषण- जो क्रिया विशेषण किसी दूसरे शब्द से नहीं बनते वे मूल क्रिया विशेषण कहलाते है। जैसे:- दूर, अचानक, फिर, नहीं, पास, ऊपर, सदा, आज आदि। ये किसी दूसरे शब्द में प्रत्यय लाग् ने से नहीं बनते है।

यौगिक या संयुक्त क्रिया विशेषण- जो क्रिया विशेषण दूसरे शब्दों में प्रत्यय या शब्द जोड़ने से बनते हैं, वे यौगिक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यौगिक क्रिया विशेषण अनेक प्रकार से बनते हैं। जैसे:-

संज्ञा से- सबेरे, क्रमशः, मन से, प्रेमपूर्वक, क्षणमात्र, [illegible], [illegible], [illegible]

सर्वनाम से- [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], ज्यों, त्यों आदि।

[illegible]- [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], बहुधा आदि।

क्रिया से- [illegible]-[illegible], करते हुए, बैठे हुए, [illegible], सर्दी के मारे इत्या[illegible]

स्थानीय क्रिया विशेषण- संज्ञा, सर्वनाम, [illegible] [illegible] दूसरे शब्द भेद बिना किसी विकार के क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते है तो स्थानीय क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे:- वह खाक दौड़ेंगा। इस वाक्य में 'खाक' शब्द संज्ञा है किन्तु यहाँ पर क्रिया विशेषण सा प्रयुक्त हुआ हैं।

MODULE IV

Translation

अनुवाद

एक भाषा की सामग्री को दूसरी भाषा में रूपांतर करता ही अनुवाद है। बहुतों ने अपने अपने ढंग से अनुवाद की परिभाषाएँ दी है। इनमें से हम समझ सकते हैं कि अनुवाद की प्रकृति के अनुसार इसके उद्देश्य भी विभिन्न हैं।

आजकल अनुवाद का महत्व और भी बढ़ गया है। अनुवाद को आज अनुसृजन के रूप में भी देख रहे हैं। इसलिए प्रतिभावान विद्यार्थी अनुवाद के जरिए शीधघ्र ही रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए अनुवाद का अभ्यास करना भी जरूरी है। केन्द्र सरकार के समस्त कार्यासयों में तथा देशीयीकृत बैंकों में भाषांतरण और लिखित अनुवाद की वजह से अनेक नौकरियों के दरवाजे खुल गये हैं। अतः अनुवाद का नहत्व आज हर जगह दिखाई देता है।

अनुवाद अभ्यास (अंग्रेजी से हिन्दी में)

कुछ नमूने-

1. am extremely glad to note the progress of Hindi in South lndia. A common language for the whole of lndia is a necessity. There are many advantages in making Hindi the National languge. There is no possibility of Hindi

endangering the provincial languages. Hindi is a fine rope with which to bind the whole of lndia together. Some complaint that it is difficult to learn other languages. But there is really no difficulty in that. You can find many in Europe knowing four or five languages, besides their mother tongue.

हिन्दी अनुवाद-

दक्षिण भारत में हिन्दी की प्रगति देखकर मुझे अतीव प्रसन्नता होती है। समूचे भारत के लिए एक सामान्य भाषा की आवश्यकता है। हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने में अनेक सुविधाएँ हैं । हिन्दी के द्धारा प्रादेशिक भाषाओं की होने की कोई संभावना नहीं है। सारे भारत को एक डोरी में बाँधने के लिए हिन्दी एक सुन्दर सूत्र है। कुछ लोगों की शिकायत है कि दूसरी भाषाएँ सीखना मुश्किल है। परंतु वास्तव में इसमें कोई कठिनाई नहीं है। यूरोप में अपनी मातृभाषा के अलावा चार- पाँच भाषाएँ जाननेवाले लोगों को आप देख सकते हैं।

2. We have recently published some new and attractive books which are selling very well.

We specially wish to bring to your notice Dubey's Economic and Commercial geography and A.N. Agarwal's' lntroduction to Economics' which are in great demand in your city and in which your local competitors are doing good business. We are sending you our latest price-list to acquaint you with our new publications.

हम ने हाल ही में कुछ ऐसी नयी आकर्षक किताबों का प्रकाशन किया है जिनकी अच्छी बिक्री हो रही है। हम आप का ध्यान खासकर दूबे की "इकनोमिक एण्ड कमेर्सल जोग्रफी" और ए. एन अग्रवाल की " इन्ट्रोडक्शन टु एकणोमिक्स'' की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूँ। शहर में इन पुस्तकों की बड़ी माँग होती हैं और आपके स्थानीय परिद्धन्द्धी इन पर अच्छा व्यापार करते हैं। अपने नये प्रकाशान का परिचय देने के लिए हम अपनी नवीनतम मूल्य-सूची आप को नाम भेज रहे हैं।

3. The Taj Mahal is very famous building. It is one of the wonders of the world. It is situated at Agra on the right bank of the Yamuna. It was built by Shah Jahan. He built it in the memory of his dear wife Mumtaz Mahal. People come from far and and wide to see this historical building. It is very pleasant to see it in

the rainy season when the scenery on all sides is very beautiful. Hundreds of years have passed but its beauty is the same, as it was, when it was built.

ताजमहल एक अत्यन्त प्रसिद्ध इमारत है। यह संसार के आश्चयों में से एक है। यह आगरा में यमुना के दक्षिणी तट पर स्थित है। इसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। अपनी प्रिय पत्ती मुमताज महल की स्मृति में उन्होंने इसे बनवाया था। इस ऐति हासिक इमारत को देखने के लिए दूर-दूर से लोग आते हैं। वर्षा ऋतु में जब चारों ओर के दृश्य अतीव सुन्दर होते हैं तब इसे देखना अत्यन्त आनन्ददायक होता है। सैकड़ों वर्ष बीत गये, लेकिन इसका सौन्दर्य वैसा ही है जैसा कि इसका निर्माण हुआ था।

4. Now-a-days paper has become very costly. It costs three times more than before . Sometimes it is not even available. Therefore one has got to be very careful in using paper. Now l will tell you how careful Gandhiji was about paper. Now l will tell you how careful Gandhiji was about paper. Everyday he was getting hundreds of letters. Gandhiji did not throw away such letters. He wrote the draft of his letters on the back. Sometimes he used to

write articles for his 'Harijan' on them. He seldom bought paper for his use.

आजकल कागज बहुत महँगा हो गया है। इसका दाम पहले की अपेक्षा तीन गुना लगता है। कभी-कभी मिलता भी नहीं। इसलिए हर किसी को कागज के उपयोग में सावधान रहना चाहिए। अब मैं बताऊँगा कि कागज के विषय में गाँधीजी कितने सावधान थे। प्रातदिन उन्हें सैकड़ों पत्र मिलते थे। गाँधीजी उन पत्रों को फेंकते नहीं थे। वे उनकी पीठ पर अपने पत्रों के मसौदे लिखते थे। कभी-कभी वे उन पर अपने 'हरिजन' के लिए लेख भी लिखते थे। वे अपने उपयोग के लिए कागज विरले हो खरीदते थे।

5. When a new customer wants credit, he is requested to furnish trade references. The letter asking for reference should be written in a natural polite manner, stating that this inquiry is a matter of routine and custom. Nothing should be written to would the self respect of the correspondent lest he might be offended and be lost as a customer.

जब कोई नया ग्राहक माल उधार माँगता है ता उससं व्यापारिक संदर्भ देने की प्रार्थना की जाती है। संदर्भ माँगते हुए जो पत्र लिखा जाता है वह स्वाभाविक और

नम्रतापूर्वक होना चाहिए और उसमें यह बताना चाहिए कि यह पूछताछ प्रचलित क्रम और परिपाटी के अनुसार होने वाला कार्य है। ऐसी कोई बात नहीं लिखनी चाहिए कि पाने वाले के आत्म सम्मान पर आघात लगे। इस पर ध्यान न देने पर उसके अप्रसन्न होने तथा ग्राहक क रुप में उलको खो जाने की भी संभावना है।6. We regret to inform you that, inspite of our re minders, we have failed to receive the goods in time. As our customer, who ordered these goods, has now purchased them from elsewhere, because of our failure to supply him goods in time, we have very reluctantly to cancel the order.

आपको यह सूचित करने में हमें खेद होता है कि अनुस्मारक भेजने पर भी माल समय पर प्राप्त नहीं हुआ है। क्रयादेश की पूर्ति समय पर करने में हमारी पराजय हो जाने से हमारे ग्राहकों ने और कहीं से माल खरीदा है। इसलिए हम विवश होकर क्रयादश रद्द करते हैं।

7. Discipline is very essential in every walk of life. Discipline is the soul of military life. without discipline an army is no better than a crowd. It is the first thing that needed for maintaining the harmony and concord in a family. It is equally necessary in mainaining

peace and harmonious relation in society or in a nation. Without discipline we are no better than brutes. lf there is no discipline in God's creation, chaotic conditions will prevail and this universe would come to topsy-turvy in time. 'Learn to obey, if you wish to command', thus goes to proverbs. there is much truth in this proverb 'Child is the father of man' so says wordsworth. Childhood is the part of man's life when it can easily be moulded. If a student forms disciplined habits in his school career it will have a good effect upon his future life.

जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासन अत्यन्त आवश्यक है। अनुशासन सैनिक जीवन की आत्मा है। अनुशासन- हीन सेना भीड़ से भी बेहतर नहीं। वह परिवार की एकता और सहमति बनाये रखने का पहला साधन है। समाज या राष्ट्र में शांति और ऐक्यापूर्ण लंबन्ध को बनाये रखने के लिए भी अनुशासन समान रूप से आवश्यक है। अनुशासन के बिना हम असभ्यों से बेहतर नहीं होते। ईश्वर की सृष्टि से यदि अनुशासन नहीं रहा तो अस्तव्यस्तता कायम रहेगा और ब्रह्मांड शीघ्र ही प्रलय में डूब जायेगा। एक प्राचीन कहावत है- अगर आज्ञा देना चाहो तो स्वयं आज्ञा मानना सीखो। इस कहावत में बहुत सत्य है। बच्चा आदमी का पिता है

वर्डसवर्त ऐसा कहते हैं। बचपन आदमी के जीवन का ऐसा समय है जबकि उसको आसानी से योग्यरूप दिया जा सकता है। यदि एक विद्यार्थी अपने अध्ययन काल में अनुशासनपूर्ण आदतें डालें तो उसके भावि- जीवन पर उनका अच्छा प्रभाव पड़ेगा।

8. Means of transport and communication are very essential for the smooth working and the further development that “If agriculture and industry are the body and the bones of a national Organism, communications are its nerves.” kipling goes further and says: “Transport is Civilization.”

The importance of well- developed means of transport and communnication is all the greater ina country like judice which is sub-continental in size, has long distance to cover a large population to be served. Agriculture, industry, trade or any other economic activity depends in a very large measure, on the development of the means of transport and communication.

देश के सुगमतापूर्ण संचालन तथा आर्थिक जीवन की प्रगति को और बढ़ाने के लिए संचार और परिवहन के

साधन अत्यन्त आवश्यक हैं। किप्लिंग के अनुसार- “ यह बिलकुल सच है कि खेती और उद्योग देश के जीवधारियों के शरीर और हडिडयाँ हैं तो संचार उसकी नसें हैं। वे फिर कहते हैं कि परिवहन सभ्यता है।’’

भारत जैसे देश में, संचार और परिवहन के पूरी तरह से उन्नत साधनों का सर्वाधिक महत्व है क्योंकि भारत एक अर्ध महाद्धीप के आकार का है जिसमें बहुत अधिक दूरी तय करनी है, प्रगति प्राप्त करने के लिए अनेक अविकसित प्रदेश हैं और जहाँ असंख्य लोगों की सेवा भी करनी है। खेती, व्यवसाय, व्यापार या कोई दूसरा आर्थिक काम हो यातायात और संचार के साधनों के साधनों के विकास पर निर्मर रहता है।

9. Today is the new year’s day. The year which was till yesterday has gone away for ever. It will never come back now. The current of time is incessant and everlasting. The previous year has gone. The new year has started now. But the joint in the middle is not visible. The flow of time is just like the current of river. The river flows and vanishes in the endless ocean, even then it goes on flowing. The previous year has ended and vanished in the infinite time.

Day, night, fortnight, month and year are the measures. They are to measure the eternal time. Day and night can be short or long, but the thing to be measured is neither short nor long. The time is infinite and everlasting.

आज नये साल का पहला दिन है। जो वर्ष कल तक था वह सदा के लिए चला है। अब वह वापस नहीं आएगा। वर्तमान (काल) अविच्छिन्न एवं अनन्त है। समय की प्रवाह अजस्र है। पिछला साल बीत गया। अब नया साल चालू हुआ। लेकिन बीच का वह जोड़ दिखाई नहीं पड़ता है। समय का प्रवाह नदी के प्रवाह के जैसे है। नदी बहकर अनन्त समुद्र में विलीन होती है, फिर भी बहती रहती है। साल समाप्त होकर अनन्त काल में विलीन हो गया और नया साल शुरू हो गया। दिन-रात, पक्ष, मास और साल तो माप हैं। समय के नापने के पैमाने हैं। दिन और रात छोटे-बड़े हो सकते हैं अर्थात् माप छोटा-बड़ा हो सकता है लेकिन मापी जानेवाली चीज तो छोटी-बड़ी नहीं होती है। समय अनन्त है, अक्षय है।

10. Mahatma Gandhi was the great man of his time, he was born at Porbandar in Gujarat on 2 Oct. 1869. His Father was a minister in a state and his mother was an ideal woman. After his education in lndia he went to England to

study law. After qualifying as a barrister from there he start practice in South Africa. But soon he started the Satyagrah movement to improve the miserable conditions of the lndians living there. After Gandhi- Smuts agreement he returned to India. He regarded truth and noon-violence as best weapons for achieving the freedom of India. Therefore he started noon-cooperation and satyagraha movements. In the end truth and non- violence were victorious and the British empire had to admit defeat. India became free.

महात्मा गांधी अपने समय के सबसे महान् पुरुष थे। उनका जन्म २ अक्टूबर १८६९ ई. में गुजरात के पोरबन्दर नाम के शहर में हुआ था। उनके पिता एक रियासत के दीवान थे और उनकी माता एक आदर्श स्त्री थीं। भारत में शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् वे वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड गये। वहां से बैरिस्टर बनकर वापिस आने के बाद उन्होंने आरम्भ में दक्षिणी अफ्रीका में वकालत आरंभ की। परंतु शीघ्र ही वहां रहने वाले भारतीयों की दीन-दशा सुधारने के लिए उन्होंने वहां सत्याग्रह आन्दोलन प्रारंभ किया। गांधी-स्मटस समझौता हो जाने पर वे वहां से भारत लौट आए। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए भी उन्होंने

सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को ही सर्वोपरि हथियार माना। अतः उन्होंने असहयोग आन्दोलन तथा सत्याग्रह आन्दोलन आरंभ किये। अन्त में सत्य और अहिंसा की विजय हुई और ब्रिटिश साम्राज्य को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। भारत स्वतंत्र हो गया।

अभ्यासार्थ

गद्यांश

1. Travelling is an essential part of education. Through books we read we get only theoretical knowledge, but practical knowledge is obtained only by travelling .We come to know of different people with different manners and customs. We can see their mode of living and dress. We can hear their different languages. Travelling develops our knowledge and outlook. We can improve ourselves by adopting the good methods followed by various nations. It really helps the advancement of civilization. All people cannot undertake journey but they can learn about the unknown places from books written by travellers. If the travelers had not described

their journeys and given an account of the new places they visited , we would not have known such useful information-

Theoretical- सैद्धांतिक, practical, व्यावहारिक, knowledge ज्ञान, manners and customs,- आचार-विचार, outlook दृष्टिकोण, adopt- अनुकरण करना, give an account of- विवरण देना advancement- उन्नति civilization- संस्कृति

2. Soon after our first arrest in December 1921 the police started paying frequent visits to Anand Bhavan, our house in Allahabad. They came to realize the fines which had been imposed on father and me. It was the congress policy not to pay fines. So the police came day after day and attached. They carried away bits of furniture. Indira, my four year old daughter, was greatly annoyed at this continuous process of despoliation and protested to the police and expressed her strong displeasure. I am afraid those early impressions are likely to colour her future views about the police force generally.

(arrest- गिरफ्तारी, pay frequent visit नित्य आना-जाना, realize to fine- जुर्माना वसूल करना, policy- नीति, attach जब्त ,to get annoyed- झुँझलाना, dispoilation- लूट, early impressions- प्रारंभिक धारणएँ)

3. No person can be happy without friends. The heart is formed for love, and cannot be happy without the opportunity of giving affection. But you cannot receive affection unless you will give it. You cannot find others to love you unless you will also love them. Love is only to be obtainedby giving cheerful and obliging disposition. You cannot be happy without it. If your companions do not love you, it is your own fault. They cannot help loving, if you be kind and friendly. If you are not loved, it is good evidence that you do not deserve to be loved.

(affection – प्रेम, ममता, cheerful- प्रसन्न, obliging isposition - सुजनता पूर्ण स्वभाव, cannot help loving- प्यार किये बिना रह सकता, friendly-

मित्रतापूर्ण, evidence- प्रमाण, deserve to be loved- प्यार किये जाने योग्य, companions- सहचर)

4. The country we live in is known as Bharatvarsh, Hindustan or Hind. The most ancient name of our land is Bharatvarsh. Our country gets this name because of its ancient ruler named Bharat. It is said that he was the first to rule over this land. The name Hindustan and Hind wer given by foreigners.

Many people came into our country. But after they settled here, they became its citizens. Many of these came to India from the north-west after crossing the river 'Sindhu'. To them the river Sindhu was the boundary of this country. In the countries north-west of India Sindhu is known as Hind. Hence after the name of Sindhu, this country came to be called Hind first and Hindustan later. The people of this country came to be known as 'Hindis' or 'Hindus'.

(ancient- प्राचीन ruler- शासक citizens- नागरिक, to settle- बसना, north-west- उत्तर- पश्चिम,

boundary- सीमा, after the name of Sindhu- सिन्धु के नाम पर)

5. Science is a divine gift to man. It has enabled man to understand men and things. It has given him the faculty of reasoning. It has saved man from superstitions.it has given him a clear vision. It has taught him as how to take the five elements under his control. He has gradually improved his abilities and now is able to control nature. He has learnt as to know to make use of nature and has become the master of nature. Today he is sailing on the sea and flying on the sky. He has invented different kinds of machines which are very useful. He has conquered distance and time and is able to bring the whole world together.

(science- विज्ञान, divine gift- दैवी देन, faculty of reasoning- युक्तियुक्त चिन्त की शक्ति, superstitions- अन्धविश्वास, vision- दृष्टि, five elements- पंचतत्व, gradually- धीरे-धीरे, sailing on the see- समुद्र, में यात्रा करना, to invent- आविष्कार करना, to conquer- जीतना)